# न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद

(पाठासीन अधिकारी – मनसुख राम डामोर आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या – 65/2019 वाद
दायर दिनांक – 02/08/2019
निर्णय दिनांक – 18/02/202

अनवान

1. गोटू लाल पिता लालुराम जाति सुनार निवासी कुरज तहसील रेलमगरा

वादी

बनाम

1. भूमिधारक तहसीलदार, रेलमगरा जिला राजसमंद

प्रतिवादीगण

## वाद बाबत् स्वत्व घोषणा व ईन्द्राज दुरूस्ती

## निर्णय

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत स्वत्व घोषणा एवं ईन्द्राज दुरस्ती के प्रस्तुत किया कि ग्राम माण्डफिया खेड़ा तहसील रेलमगरा में वादी के सहखातेदारी के आराजी संख्या 5477/4532 रकबा 09–12 बीघा स्थित है प्रमाण में नकल जमाबंदी की प्रमाणित प्रति पेश है। उक्त आराजीयात में वादी का नाम सहखातेदार के रूप में गणपतलाल के नाम से दर्ज है। जबकि वादी का नाम गणपतलाल नहीं होकर गोटुलाल है व वादी का गोटुलाल पिता लालुराम के नाम से ही जाना व माना जाता है। वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में गोटुलाल अंकन होना चाहिये था लेकिन गोटुलाल की जगह गणपतलाल अंकन हो गया। क्योंकि श्री लालुराम की मृत्यु जब वादी नाबालिग था तब ही हो गई था जिससे जब नामान्तरकरण खोला गया तब सहवन से वादी का नाम गोटुलाल के बजाय गणपतलाल दर्ज हो गया था जबकि वादी का गोटुलाल के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है। जो दस्तावेज वादी के नाम का है उसमें आधारकार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र निर्वाचन आयोग का, सभी में गोटुलाल पिता लालुराम के नाम से ही वादी का अंकन है। खातेदार गणपतलाल पिता लालुराम एवं वादी गोटुलाल पिता लालुराम एक ही व्यक्ति है। इस नाम का ओर कोई व्यक्ति गांव कुरज एवं माण्डपिया खेड़ा में नहीं है। वादी को अभी अपनी जमाबंदियों की नकलों की आवश्यकता हुई उसमें पटवारी हल्का से जानकारी हुई कि वादी का नाम राजस्व अभिलेख में नाम सुधारने हेतु पटवारी हल्का को कहां तो वादी को मौखिक रूप से यह बताया गया कि यहां पर इस तरह से नाम नहीं सुधारा जा सकता है। तहसील में जाना वहां तुम्हारा नाम सुधर जायेगा। इसके बाद वादी प्रतिवादी के यहां बार बार जाता रहा तो वादी का नाम नहीं सुधारा गया व आज से एक माह पूर्व अन्तिम बार वादी प्रतिवादी के यहां जाकर राजस्व अभिलेख में गणपतलाल पिता लालुराम के बजाय गोटुलाल पिता लालुराम अपना नाम अंकन कराने हेतु कहा तो प्रतिवादी ने कहा कि इसके लिये वादी को घोषणा राजस्व अभिलेख में सही अंकन व ईन्द्राज दुरूस्ती का वाद सहायक कलक्टर महोदय के न्यायालय में लगाना होगा। जिससे वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि अपने नाम गोटुलाल पिता लालुराम को राजस्व अभिलेख में गणपतलाल पिता लालुराम के बजाय दर्ज कराने व राजस्व अभिलेख में गणपतलाल पिता लालुराम के बजाय गोटुलाल पिता

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)

लालुराम अंकन करवाने व इन्द्राज को दुरूस्त कराने हेतु वाद प्रस्तुत करे। जिससे इस निमित वादी का यह वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। राजस्व अभिलेख में उक्त आराजीयात के अलावा अन्य दस्तावेजों में वादी का नाम सहीं अंकन है जो गोटुलाल पिता लालुराम है जबकि राजस्व अभिलेख में उक्त आराजीयात में गोटुलाल पिता लालुराम के बजाय गणपतलाल पिता लालुराम गलत अंकन है इस कारण वादी न तो इन भूमियों बाबत् कोई किसी प्रकार का रहन, विक्रय आदि कर सकता है जिससे वादी के लिए उक्त वाद लाना ही आवश्यक हो गया है। वादी ने इस बाबत् प्रतिवादी को नाम सुधारने हेतु कहा व ईन्द्राज को दुरूस्त करने व राजस्व अभिलेख में सही अंकन करने बाबत् कहा तो प्रतिवादी ने मना कर दिया व वाद के जरिये ही नाम सुधारने को कहा व अन्तिम बार आज से एक माह पूर्व वादी ने प्रतिवादी को अपना सहीं नाम अंकन गणपतलाल पिता लालुराम की बजाय गोटुलाल पिता लालुराम राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु कहा तो प्रतिवादी ने मना कर दिया। तब से अन्तिम बार वादी का वाद हेतु उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वादी का वाद विरूद्व राजस्थान राज्य तहसीलदार महोदय के विरूद्व प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का सूचना पत्र देना होता है लेकिन प्रतिवादी ने मौखिक रूप से मना कर दिया व मामला वादी को लोन लेना आवश्यक को होने से आवश्यक प्रकृति का पाया जाने से धारा 80(2) का प्रार्थना पत्र का वाद की स्वीकृति बाबत् वाद पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी की उक्त आराजीयात ग्राम मण्डपिया को खेड़ा तहसील रेलमगरा में स्थित होने से व वाद राजस्व अभिलेख में अपना नाम सहीं अंकन कराने व ईन्द्राज दुरूस्ती तथा घोषणा का होने से उक्त वाद का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार न्यायालय आपको है।

अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी के विरूद्व डिक्री पारित फरमाई जावें कि वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात में वादी का नाम गणपतलाल पिता लालुराम है के बजाय घोषणा के जरिये राजस्व अभिलेख में गोटुलाल पिता लालुराम अर्थात् वादी का नाम गणपतलाल के बजाय गोटुलाल ईन्द्राज को दुरूस्त करते हुये राजस्व अभिलेख में अंकन फरमाया जावें अन्य कोई समूचित सहायता जो वादी प्राप्त करने का अधिकारी है दिलाई जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गयी प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार ने स्वीकारात्मक जवाब पेश किया तथा वादी अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पीडब्लयू 1 एवं दस्तावेज जमाबंदी की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गयी एवं राशनकार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पासबुक, मतदाता पहचान पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी जिसमें वादी का नाम गोटूलाल पिता लालुराम अंकित है।

अतः वादी का वाद बाबत घोषणा इन्द्राज दुरस्ती स्वीकार किया जाकर ग्राम माण्डपियाखेड़ा के आराजी नम्बर 5477/4532 में अंकित वादी का नाम गणपतलाल पिता लालुराम के बजाय गणपतलाल उर्फ गोटूलाल पिता लालुराम अंकन किये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को आदेश दिये जाते है पालना हेतु तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा